"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2002—पौष 10, शक 1924

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-1/15/सह./1440/2002.—छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि, रजिस्ट्रार को उक्त अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त की गई शक्तियां विभागाध्यक्ष कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ में पदस्थ उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं द्वारा भी वित्तीय बैंक और उन सोसाइटियों, जिनके कार्यक्षेत्र का विस्तार किसी एक जिले की सीमाओं से बाहर हो, किन्तु जिनका विस्तार संपूर्ण राज्य में न हों, के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर प्रयोक्तव्य होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 दिसंबर 2002

क्रमांक एफ-1-1/15/सह./1440/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 384 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1/15/सह./1440/2002, दिनांक 31 दिसंबर 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 31st December 2002

NOTIFICATION

No. F-1-1/15/Co-op./1440/2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government hereby, directs that all the powers conferred on the Registrar under the said Act and Rules made thereunder shall be exercised by the Deputy Registrar, Co-operative Societies, posted at the office of the Registrar, Co-operative Societies Chhattisgarh, to the extent of financing Banks and all societies whose area of operation extends beyond the limits of a district but does not extend in whole of the state, within the State of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. BAGAI, Principal Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.